

11/11/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

उपखण्ड नम्बर 43 P.S.

बनाम

सरकार

नम्बर 50 सन् 2021

किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 774

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
01/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार ^{समस्त} रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/533 दिनांक 01/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 43 P.S. में प्रार्थी के नाम चक 43 P.S. की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं 119 में ^{समस्त} उपखण्ड अधिकारी जज के स्थान पर ^{समस्त} उपखण्ड अधिकारी जज</p>	
	<p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार ^{समस्त} रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 43 P.S. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं 119 में ^{समस्त} उपखण्ड अधिकारी जज के स्थान पर ^{समस्त} उपखण्ड अधिकारी जज</p>	
	<p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जातें हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प 43 P.S.

